महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शिक्षा मंत्रालय ([redacted], भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

Ministry of Education ([redacted], Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं. 17-3/2019(प्र.वि.)/मसारावेविप्र/ दिनांक 04-11-2020

कार्यालय आदेश -953

विषय :- वेद पाठशालाओं/ गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों द्वारा आवश्यक व्यवस्था एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में।

1. <u>प्रत्येक वेद अध्यापक के साथ 10 अनुपात में छात्र संख्या -</u> महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन द्वारा वेदों की सस्वर उच्चारण की मौखिक परम्परा के अक्षुण्ण बनाए रखने की योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों में वेद पाठशालाएँ एवं गुरुशिष्य परम्परा इकाइयाँ संचालित की जा रही है। कुछ जगह में विशेष अध्ययन व्यवस्था के कारण छात्र संख्या अद्यतन हैं। इसी क्रम में कुछ पाठशालाओं एवं गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों में प्रत्येक अध्यापक के अधीन कम-से-कम 10 छात्र संख्या का अनुपात पूर्ण नहीं होता है। कई पाठशालाओं /इकाइयों में प्रत्येक अध्यापक के अधीन अत्यन्त कम 2-3 छात्र भी हैं। वित्तविहीन छात्र के रूप में जो भी छात्र हैं/थे, उन्हें वित्तपोषित व्यवस्था में लाना एवं उन्हें गुणवत्ता पूर्वक सस्वर वेद अध्यापन सुनिश्चित करें।

समस्त पाठशालाओं एवं गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए, एक अध्यापक के अधीन अधिकतम 10 छात्र संख्या का अनुपात पूरा करना सुनिश्चित करें। छात्रों की संख्या का अनुपात पूरा न होने पर भविष्य में इस व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसी क्रम में अनुदानित समस्त वेद पाठशालाओं के प्रबन्धन/ट्रस्टी अध्यापनरत वेदाध्यापकों के सान्निध्य में अध्ययनरत छात्रों की सूची शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करें।

2. <u>छात्र का अध्ययन-अध्यापन -</u> वैदिक सस्वर उच्चरण की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने की योजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठान द्वारा संचालित वेद पाठशालाओं एवं गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों में अध्ययनरत वेद छात्रों की वेदभूषण (1-5) एवं वेदविभूषण (1-2) परीक्षाएँ आयोजित की जाती है। कुछ पाठशालाओं एवं इकाइयों में अध्ययन की निरन्तर शिथिलता परीक्षा के समय में उजागर होती है और भिन्न-भिन्न कठिनाइयों के बारे में कहा जाता है।

समस्त पाठशालाओं एवं गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों को पुनः सूचित किया जाता है कि पाठशालाओं में संस्थाओं के उत्तरदायित्व में एवं इकाई में गुरुओं के अधीन में प्रतिष्ठान के सहयोग से सभी अध्यापन/शैक्षिक कार्य चलाये जाते हैं अतः पूर्ण गुणवत्ता के साथ में वेद अध्ययन-अध्यापन कराना एवं पाठ्यचर्या में निर्दिष्ट विषयों का अध्यापन एवं अन्य का पूर्ण रूप से अमल में लाना सुनिश्चित करें।

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 **फैक्स** (0734-2502253)

E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

3. <u>छात्रों की आवास एवं भोजन व्यवस्था -</u> वेद पाठशालाओं एवं गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों में अध्ययन कर रहे छात्रों को उच्च गुणवत्ता का प्रमाणित मात्रा में सुबह एवं शाम को निर्दिष्ट भोजन दिया जाना आवश्यक है। दुग्ध, कषाय एवं पारम्परिक सुपाच्य भोजन/खाद्य पदार्थ/ फल आदि आहार वस्तु दी जाए। समयानुसार 10-11 बजे एवं दोपहर 4:00 बजे दूध/ कषाय भी दिया जाए।

4. <u>उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्र -</u>

<u>वेदपाठशालाएँ -</u> वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, लेखे तथा प्रतिष्ठन द्वारा प्रेषित आनुषंगिक राशि का व्यय विवरण निम्न मदों में पूर्ण रूप से हो -

(1) Repair & maintanence of Building (20%)
(2) Maintanence expenses for students hostel & Security (20%)
(3) Clerical & Office expenses (10%)
(4) Electricity & water expenses (10%)
(5) Post, Telephone, Internet, Fax, Stationary expenses (10%)
(6) Students Cloths, furniture and medical expenses (20%)
(7) Other miscellaneous expenditure (10%)

उपर्युक्तानुसार प्रपत्र चार्टेड एकाउंटेंट से प्राप्त कर तथा अन्य प्रपत्र जैसे बॉण्ड, रेसोल्यूशन, प्रत्येक वेद/संस्कृत/आधुनिक विषय अध्यापक का शपथ पत्र, प्रत्येक अध्यापक से मानदेय प्राप्ति रसीद आदि दिनांक 30 अप्रैल, 2021 से पूर्व प्रतिष्ठान कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। प्रतिष्ठान से प्राप्त मानदेय को प्राप्ति दिनांक से 3 कार्य दिवसों में अध्यापक के खाते में भेजना सुनिश्चित करें।

<u>गुरुशिष्य परम्परा इकाई -</u> वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र चार्टेड एकाउंटेंट से प्राप्त कर तथा अन्य प्रपत्र जैसे कि शपथ पत्र आदि दिनांक 30 अप्रैल, 2021 से पूर्व प्रतिष्ठान कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सचिव जी के निजी सचिव, म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
2. अनुभाग अधिकारी (प्र.), म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
3. कार्यालय आदेश मिसिल।
4. प्रतिष्ठान की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।